FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0175 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/06/2026 20:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 27/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:15 बजे **Time To (समय तक):** 12:28 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/06/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/06/2026 20:30:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 250 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** CHAMUNDA MANDIR KE SAMNE, KAREDA JILA BHILWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAGWAN SALAVI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MIYARAM JI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 06, RAJPUTON KA MOHALLA, CHILESHWAR, KAREDA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 06, RAJPUTON KA MOHALLA, CHILESHWAR, KAREDA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 9

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LOKESH JOSHI		पिता:RAMGOPAL SHARMA	1. 292,SHIVNAGAR MANDIYA ROAD PALI,Kotwali Pali,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान एडीशनल एसपी साहब, एसीबी भीलवाडा। विषय - रिश्वत मांगने वाले पटवारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही हेतु। महोदय जी, मेरा नाम भगवान सालवी पुत्र श्री मियाराम जी जाति बलाई उम्र 30 साल निवासी राजपूतो का मोहल्ला, वार्ड नं. 06, ग्राम चिलेश्वर तहसील करेडा जिला भीलवाडा का निवासी हूं। मैं कारीगर का काम करता हूं। मेरे पिताजी श्री मियाराम जी के नाम राजस्व ग्राम चिलेश्वर में खसरा संख्या 1147, 667, 702, 3251/662, 663, 664 में खेती व कुएं की भूमि है। मेरे पिताजी की दिनांक 29.05.2026 को मृत्यु हो जाने के बाद मेरी मां चांदी, मेरा भाई जगदीश, मेरी बहिन नाथी व मेरे नाम फौतगी का नामान्तरण खुलवाने के लिये, मैं दिनांक 20.06.2026 समय 07.00 पी.एम के लगभग पटवारी श्री लोकेश जोशी से करेडा में मिला। मैने मेरे परिजनो के नाम नामान्तरण खोलने हेतु बातचीत की तो पटवारी श्री लोकेश जी नें मुझे कहा आपको जल्दी म्यूटेशन खुलवाना है तो 10,000/- रूपये लेकर आ जाना, मैने काफी हाथा जोडी की तो 8000/- रूपये लेने पर राजी हो गया तथा मुझे कहा कि अभी किते पैसे लाया है, मेरे से 5000/- रूपये उसी समय ले लिये, अब मेरे से 3000/- रूपये और रिश्वत मांग रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले पटवारी जी लोकेश जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। पटवारी जी को मैं पैसे नही देता तो मुझे बार बार चक्कर देकर परेशान करेंगे। मेरी पटवारी लोकेश जी से कोई लेनदेन और रंजिश नही है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करे। दिनांक 23.06.2026 प्रार्थी भगवान सालवी पुत्र श्री मियाराम जी जाति बलाई उम्र 30 साल निवासी राजपूतो का मोहल्ला, वार्ड नं. 06, ग्राम चिलेश्वर तहसील करेडा जिला भीलवाडा मो.नं. दिनांक 23.06.2026 समय 11.15 ए.एम पर परिवादी श्री भगवान सालवी पुत्र श्री मियाराम जी जाति बलाई उम्र 30 साल निवासी राजपूतो का मोहल्ला, वार्ड नं. 06, ग्राम चिलेश्वर तहसील करेडा जिला भीलवाडा नें उपस्थित कार्यालय होकर मन पारसमल उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दरयाप्त की तो बताया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं। तथा मैं कक्षा 8 वीं तक पढा लिखा हूं। अभी मैं कारीगरी व चुनाई का काम करता हूं। मैनें यह रिपोर्ट मांडल कोर्ट से लिखवाकर लाया हूं। इस रिपोर्ट में लिखी सारी बात सत्य है। मेरे पिताजी श्री मियाराम जी के नाम राजस्व ग्राम चिलेश्वर में खसरा संख्या 1147, 667, 702, 3251/662, 663, 664 में खेती व कुएं की भूमि है। मेरे पिताजी की दिनांक 29.05.2026 को मृत्यु हो जाने के बाद मेरे परिजनो के नाम फौतगी का नामान्तरण खुलवाने के लिये, मैं दिनांक 20.06.2026 समय 07.00 पी.एम के लगभग हनुमान दरवाजा करेडा में पटवारी श्री लोकेश जोशी से मिला। तथा मैने मेरे परिजनो के नाम नामान्तरण खोलने हेतु बातचीत की तो पटवारी जी नें मुझे कहा आपको जल्दी म्यूटेशन खुलवाना है तो 10,000/- रूपये लेकर आ जाना, मैने काफी हाथा जोडी की कि मैं तो चुनाई का काम करता हूं। मेरे पास 10,000/- रूपये नही है, इसके बाद पटवारी जी नें कहा कि 8000/- रूपये दे देना तथा मेरे से 8000/- रूपये लेने पर राजी हो गया तथा मुझे कहा कि अभी किते पैसे लाया है, मेरे से 5000/- रूपये उसी समय ले लिये, अब मेरे काम की ऐवज में मेरे से 3000/- रूपये और रिश्वत मांग रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले पटवारी जी लोकेश जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। पटवारी जी को मैं पैसे नही देता तो मुझे बार बार चक्कर देकर परेशान करेंगे। मेरी पटवारी लोकेश जी से कोई लेनदेन और रंजिश नही है। पटवारी जी के मोबाईल नम्बर है। पटवारी जी नें मुझे मेरी जमीन की जमाबंदी, आधारकार्ड और कागज लेकर आज ही बुलाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को पटवारी श्री लोकेश जोशी के पास भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी को एस.ओ के पास जाकर अपने काम व रिश्वत राशि मांग के संबंध में होने वाली वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की कहने पर परिवादी नें कहा कि मैं अभी पटवारी जी के पास जाकर रिश्वत राशि मांगने के संबंध में वार्ता को रिकॉर्ड कर लूंगा। आज मैं आपको मेरा आधार कार्ड, मेरे पिताजी के नाम राजस्व भूमि से संबंधित जमाबंदी की फोटोप्रति, शपथपत्र, सजरा की प्रति आपको पेश कर रहा हूं। समय 11.35 ए.एम पर श्री पवन राव कानि 417 को मन उप अधीक्षक के कार्यालय में बुलाया तथा परिवादी श्री भगवान सालवी एवं कानिस्टेबल का आपस में परिचय करवाया गया तथा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिवीआर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात कार्यालय मालखाने से डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड लाकर पेश करने

हेतु श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को निर्देश दिये। श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक नें कार्यालय का डीवीआर मय एक नया 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी व कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर एक दूसरे से शेयर किये गये। कार्यालय के डीवीआर में नया 64 जी.बी. मैमोरी कार्ड लगाकर कानिस्टेबल श्री पवन राव को जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया। फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 12.05 पी.एम पर परिवादी श्री भगवान सालवी को कानि.श्री पवन राव के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी की मोटर साईकिल से करेडा की तरफ रवाना किया गया। कानि. पवन राव को निर्देश दिये कि आप परिवादी को एस.ओ के पास वार्ता करने भेजने से पूर्व डीवीआर को अच्छी तरह से चालूकर चैक कर सुपुर्द करे तथा परिवादी को एस.ओ के पास जाते आते देखने व होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करे तथा एस.ओ की आमशोहरत के बारे में भी जानकारी करे। समय 05.00 पी.एम पर कानि. श्री पवन राव व परिवादी श्री भगवान सालवी उपस्थित कार्यालय आये। कानि. श्री पवन नें कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मुझ उप अधीक्षक को बंद हालत में पेश किया। जिसको मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात कानि. श्री पवन राव नें बताया कि कार्यालय से परिवादी के साथ एक अन्य जानकार होने से मैं मेरी स्वयं की मोटर साईकिल से तथा परिवादी अपनी मोटर साईकिल से रवाना होकर कान जी का खेडा गांव के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी से एसओ की लोकेशन जानने के लिये उसके मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवाई तो पटवारी श्री लोकेश नें परिवादी को भीटा रोड पर बुलाया। उक्त वार्ता को कार्यालय के डीवीआर को चालूकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता को रिकॉर्ड की गई। तत्पश्चात वहां से रवाना होकर भीटा रोड पर पहुंचे जहां पर एसओ का परिवादी के मोबाईल पर फोन आया तथा लोकेशन पूछी तथा भीटा रोड ठेके के पास बुलाया। जिस पर मैनें डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया। जिस पर परिवादी नें डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू हालत में अपनी पहनी हुये शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखकर वार्ता के लिये रवाना किया तथा मैं परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुआ। परिवादी भीटा रोड पर ठेके से पहले एक खेत में खेजडी की छाया में एक व्यक्ति से वार्ता करता हुआ नजर आया। मैं आस पास ही मुकीम रहा। तत्पश्चात परिवादी करीब 15 मिनट बाद में मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मुझे देकर बताया कि मेरी पटवारी जी श्री लोकेश जी से रिश्वत राशि मांग के संबंध में वार्ता हो गई है। जो आपके डीवीआर में रिकॉर्ड हो चुकी है। तत्पश्चात मैनें परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित हालत में रखकर रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी से पूछताछ की तो बताया कि मेरे साथ मेरा परिचित मोटर साईकिल पर होने से मैं और पवन जी अलग अलग मोटर साईकिल से रवाना होकर समय करीबन 01.55 पी.एम पर कान जी का खेडा गांव के पास पहुंचे तथा मैनें पटवारी जी की लोकेशन जानने के लिये मेरे मोबाईल नम्बर से पटवारी जी के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तथा मिलने के लिये पूछा तो पटवारी जी नें मुझे भीटा रोड पर बुलाया। मेरे व पटवारी जी की वार्ता को पवन जी नें मेरे फोन का स्पीकर खोल कर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। इसके बाद मैं तथा पवन जी मोटर साईकिलो से भीटा रोड पर पहुंचे तो पटवारी जी श्री लोकेश जी का मेरे पास फोन आया तथा मुझे भीटा रोड शराब ठेके के आसपास बुलाया। जिस पर पवन जी कानिस्टेबल नें मुझे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालूकर दिया, जिसको मैनें चालू हालत में मेरी शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखकर वार्ता के लिये ठेके की तरफ भीटा रोड पर रवाना हुआ। जहां पर रोड के सहारे एक खेत पर खेजडी की छाया में पटवारी खडा नजर आया। जिसके बाद मैनें पटवारी जी के पास जाकर मेरे कार्य के संबंध में बातचीत की तथा मेरे नामान्तरण से संबंधित कागजात दे दिये। बातचीत के दौरान पटवारी जी नें मुझे कहा कि आज से तेरा काम चालू कर दूंगा। तथा मेरे से पूर्व में लिये रूपयो के संबंध में भी बातचीत की तो पटवारी जी नें कहा कि पहले के तो आ गये तथा कहा कि 1500/- रूपये और दे देना। तथा मेरे से 1000/- रूपये आज वार्ता के दौरान ग्रहण कर लिये। तथा मुझे कहा कि एनओसी लेकर आ जाना। इसके बाद पटवारी जी मेरे से 1000/- रूपये की और मांग की तथा कहा कि 1000/- रूपये और लेकर आ जाना। परिवादी नें बताया कि मेरे सहकारी समिति बैंक से किसी प्रकार का ऋण बकाया होने के संबंध में एनओसी लेने के पश्चात ही मेरे से 1000/- रूपये की रिश्वत राशि और ग्रहण करेगा। परिवादी नें बताया कि मैनें आज ही एनओसी के संबंध में संबंधित श्री पारसमल कुमावत से बातचीत की तो उसने कल एनओसी देने के लिये कहा है। तत्पश्चात डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को चालूकर परिवादी के समक्ष सुना गया तो पटवारी श्री लोकेश कुमार द्वारा परिवादी से उसके कार्य की ऐवज में 1000/- रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की तथा 1000/- रूपये की रिश्वत राशि आईन्दा लेने पर सहमत हुआ। अतः आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी नें बताया कि अब मेरे द्वारा सहकारी बैंक से मेरे भूमि संबंधी लोन की एनओसी प्राप्त कर पटवारी जी को दूंगा उसी दिन मेरे से पटवारी श्री लोकेश जी रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। परिवादी को संबंधित बैंक से एनओसी प्राप्त कर मुझ उप अधीक्षक को सूचित करने के संबंध में बताया। तत्पश्चात परिवादी को 1000/- रूपये रिश्वत मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर मन पारसमल उप अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तथा परिवादी को रूख्स्त कर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 27.06.2026 समय 08.30 ए.एम पर परिवादी श्री भगवान सालवी उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मेरी कल रात्रि 09.15 पीएम के लगभग पटवारी

श्री लोकेश जोशी से मैनें मोबाईल पर बातचीत की तो उसने मुझे कहा कि सुबह साढे नौ बजे तक मिलने के लिये बुलाया है तथा पटवारी श्री लोकेश जोशी हो सकता है एक-दो दिन अवकाश पर भी जा सकता है। इसलिये वो आज ही मेरे से रिश्वत राशि 1000/- रूपये ग्रहण करेगा। मैनें ग्राम सेवा सहकारी समिति चिलेश्वर से बैंक से बकाया ऋण के संबंध में एनओसी प्राप्त कर ली है, उसकी फोटोप्रति मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत एनओसी का अवलोकन कर शामिल कार्यवाही की गई। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार पटवारी श्री लोकेश जोशी आज ही रिश्वत राशि ग्रहण करेगा। अतः अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है, तथा परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तथा समस्त स्टाफ को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। समय 08.45 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा 02 स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु आयुक्त नगर निगम भीलवाडा को जरिये मोबाईल वार्ता कर दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने के संबंध में निवेदन किया गया। तथा स्वतंत्र गवाह की तलबी की तहरीर जरिये व्हाट्सएप्प प्रेषित की गई। चूंकि शनिवार का अवकाश होने से आईन्दा तहरीर कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। समय 09.30 ए.एम पर नगर निगम भीलवाडा से दो स्वतंत्र गवाह (1) श्री आदेश गारू पुत्र श्री गोपाल गारू जाति हरिजन, उम्र 21 वर्ष निवासी रामकृष्ण नगर तेजाजी चौक पंचमुखी रोड भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम भीलवाडा मोबाईल नम्बर व (2) श्री प्रजीत पंडित पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पंडित जाति हरिजन उम्र 25 वर्ष निवासी दौलतगढ पुलिस थाना आसींद जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर निगम भीलवाडा मो.नं. उपस्थित कार्यालय आये। जिनको कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 09.40 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवान सालवी व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री आदेश गारू व श्री प्रजीत पंडित को कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी व दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान नें अपनी अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक के पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकालकर कार्यालय लेपटॉप में कनेक्ट कर दिनांक 23.06.2026 को परिवादी श्री भगवान सालवी व आरोपी श्री लोकेश जोशी पटवारी पटवार हल्का चिलेश्वर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान नें रिकॉर्ड वार्ता को सुनने के बाद रिश्वत राशि मांग किये जाने की ताईद की। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध पटवारी द्वारा दिनांक 27.06.2026 को ही रिश्वत राशि ग्रहण करेगा। इस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा गवाहान के समक्ष तैयार की जायेगी। समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री भगवान सालवी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1000/- रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी नें अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के 2 नोट क्रमशः 4RK 509928 व 3ST 690221 नम्बर के कुल 1,000/- रूपये गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिस पर उक्त नोटो के नम्बर गवाहान के समक्ष फर्द में अंकित किये। तथा उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर श्री राजेश कुमार एसआई से नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थेलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का द्रष्टांत दिया गया। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट व द्रष्टांत कार्यवाही की फर्द तैयार की गई। फर्द पर सभी गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.30 ए.एम पर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय मालखाने से ऑडियो विडियो रिकार्डिंग से संबंधित सरकारी मोबाईल व दो नये मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक नें 64-64 जी.बी के दो नये मैमोरी कार्ड क्रमशः रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता रिकार्डिंग हेतु एवं मौके की कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग हेतु लाकर पेश किये। ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित नया मैमोरी कार्ड श्री देवेन्द्र कुमार कानि नं. 429 को सुपुर्द कर मौके की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये तथा नया मैमोरी कार्ड 64 जी.बी लेनदेन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु कानि. श्री पवन राव को सुपुर्द कर लेनदेन वार्ता की रिकॉर्डिंग के निर्देश दिये। तथा परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के चालू व बंद करने की प्रक्रिया पुनः समझाई गई। समय 10.45 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह व कानिस्टेबल श्री देवेन्द्र कुमार 429 मय प्राईवेट वाहन से, परिवादी श्री भगवान सालवी व श्री पवन राव कानिस्टेबल को परिवादी की मोटर साईकिल से तथा श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री नेमीचंद सहायक उप निरीक्षक को मोटर साईकिल से तथा श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि., श्री रतनलाल कानि. के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री, कार्यालय के लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन बोलेरो के ट्रेप कार्यवाही हेतु करेडा की तरफ रवाना हुये। सभी गवाहान व ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 11.55 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय जाप्ता मय परिवादी के करेडा कस्बे से करीबन एक किलोमीटर पहले रूक कर पटवारी श्री लोकेश जोशी की लोकेशन पता करने के लिये परिवादी श्री भगवान सालवी के मोबाईल नम्बर से पटवारी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवाई तो पटवारी श्री लोकेश नें परिवादी को बस स्टेण्ड पहुंचकर चामुण्डा चौक आने के लिये कहा। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक मय जाप्ता के करेडा बस स्टेण्ड की तरफ रवाना हुये। समय 12.15 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता के करेडा बस स्टेण्ड से थोडा पहले रूके तथा

वाहनो को साईड में खडा करवाकर कानिस्टेबल श्री पवन को कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को देने के निर्देश दिये। परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन के लिये रवाना कर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के करेडा बस स्टेण्ड के आस पास मुकीम हुए। तथा कानिस्टेबल श्री पवन व श्री खालिद हुसैन हैड कानि. व श्री नेमीचंद सउनि को परिवादी के आस पास ही मोटर साईकिलो सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिये। चूंकि बस स्टेण्ड के आस पास बहुत सारी गलियां व काफी भीड भाड व आवाजाही है जिस पर सरकारी व प्राईवेट वाहन को नही ले जाया जा सकता। अतः स्टाफ को एसओ व परिवादी के मध्य होने वाले रिश्वत लेनदेन को देखने व सुनने के निर्देश दिये गये। तथा परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर तुरंत ही एसीबी स्टाफ एवं मुझ उप अधीक्षक को निर्धारित ईशारा करने या मोबाईल से फोन कर सूचना देने की हिदायत दी गई। समय 12.28 पी.एम पर परिवादी श्री भगवान सालवी नें मन पारसमल उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल आरोपी श्री लोकेश जोशी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने की सूचना दी। तत्पश्चात मन पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी टीम के करेडा बस स्टेण्ड के पास गली में चामुण्डा मंदिर के सामने पहुंचे। जहां पर कानि. श्री पवन राव, श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री नेमीचंद सउनि चामुण्डा मंदिर के सामने एक सिलाई की दुकान के बरामदे में खडे नजर आये तथा उनके पास एक व्यक्ति 30-35 वर्ष का जिसनें लोअर टीशर्ट पहन रखी थी व सिर पर केप लगा रखी थी। मौके पर कानि. श्री पवन नें बताया कि मैनें परिवादी से डीवीआर लेकर बंद कर अपने पास रख लिया है। तत्पश्चात मौके पर परिवादी श्री भगवान सालवी से पूछा तो बताया कि यही पटवारी श्री लोकेश जी है। जिन्होने अभी अभी मेरे से 1000/- रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की है। तत्पश्चात मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा जाप्ते के पास खडे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री लोकेश जोशी पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी 292 शिवनगर मण्डिया रोड पाली, पुलिस थाना सिटी कोतवाली पाली हाल पटवारी पटवार हल्का चिलेश्वर, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा का होना बताया। जिसको मन पारसमल उप अधीक्षक नें स्वयं का व एसीबी टीम का परिचय देते हुये आने का मंतव्य बताया। तत्पश्चात मौके पर परिवादी श्री भगवान सालवी से पटवारी श्री लोकेश जोशी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो बताया अभी अभी पटवारी श्री लोकेश जी नें मेरे से मेरे पिता की मृत्यु के बाद इंतकाल खोलने की ऐवज में 1000/- रूपये रिश्वत राशि अपने हाथो मे लेकर गिन कर अपने लोअर की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर पटवारी श्री लोकेश जोशी से परिवादी से 1000/- रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैनें कुछ नही लिया है। मैने कहा अपनी इच्छा होवे जो दे देना। मै तेरा काम कर दूंगा। तत्पश्चात मौके पर ही परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने बताया कि मेरे से पहले 1000/- रूपये और आज 1000/- रूपये लिये है। तथा पहले भी 2000/- रूपये लिये है। आज पटवारी जी नें पैसे अपने हाथ मे लेकर गिनकर अपने लोअर की दाहिनी जेब में रखे है। तत्पश्चात मौके पर ही आरोपी पटवारी श्री लोकेश जोशी से पूछा तो बताया कि पैसे मेरी जेब में है। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण किये जाने की पुष्टि हुई। चूंकि मौके पर बाजार व अत्यधिक भीड भाड का इलाका होने तथा कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका के चलते आरोपी श्री लोकेश जोशी का दाहिना हाथ श्री नेमीचंद सहायक उप निरीक्षक व बायां हाथ श्री खालिद हुसैन हैड कानि से पकडवाया जाकर चामुण्डा मंदिर से बस स्टेण्ड तक पैदल पैदल पहुंचे। तत्पश्चात आरोपी को सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाया गया तथा मौके से एसीबी टीम मय गवाहान मय जाप्ता मय परिवादी के समय करीबन 12.50 पी.एम पर पुलिस थाना करेडा पहुंचे। पुलिस थाना करेडा में थानाधिकारी श्री पूरणमल मीणा पुलिस निरीक्षक मौजूद मिले। जिनको अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना परिसर में कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात थानाधिकारी द्वारा अपना कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाया, जहां पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। थाना परिसर से एक बोतल में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में से दो डिस्पोजल गिलास में पानी भरकर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक नें डिस्पोजल गिलास में एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार किया। उपस्थित परिवादी व दोनो गवाहान नें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात डिस्पोजल गिलास में तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी श्री लोकेश जोशी के दाहिने हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांई देता हुआ, जिसको दो साफ काच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क RH-1 व RH-2 दिया गया। तत्पश्चात दूसरे डिस्पोजल गिलास में तैयार शुदा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को धुलवाया गया तो घोल का रंग गंधमैला होना पाया गया, उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क LH-1 व LH-2 दिया गया। उक्त चारो शिशियों पर कपडे व कागज का चिट लगाकर शिल्ड कर सभी के हस्ताक्षर करवाकर उक्त शिल्ड आर्टिकल को कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के पहने हुये लोअर की तलाशी गवाह श्री प्रजीत पंडित से लिवाई गई तो आरोपी के पहने हुये लोअर की दाहिनी जेब में नोट मिले। जिनको गवाहान व परिवादी के समक्ष गिना गया तो 500-500 रूपये के कुल 02 नोट कुल 1000/- रूपये मिले। उक्त नोटो का पूर्व में तैयारशुदा फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो से गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त नोट के नम्बर फर्द में अंकित नम्बरो से हुबहु मिलान हुये। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि नोट 1000/- रूपये को गवाहान व परिवादी के समक्ष एक पीले लिफाफे में रखकर उक्त लिफाफे पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पीले रंग के लिफाफे जिसमें रिश्वत राशि रखी गई है, को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क N अंकित

किया गया। तथा शिल्ड पैकिट मार्क एन पर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री लोकेश जोशी पटवारी के पहने हुये लोअर जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई है, कि जप्ती किया जाना आवश्यक होने पर आरोपी के ससुराल श्री दिनेश शर्मा के आवास से एक अन्य लोअर की मंगवाया जाकर आरोपी के पहने हुये लोअर को ससम्मान उतरवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। जिसको उपस्थित गवाहान व हाजरीन नें घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। तत्पश्चात उक्त तैयार शुदा घोल में आरोपी के पहने हुये लोअर की दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी होना पाया गया। उपस्थित परिवादी व गवाहान नें घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पश्चात उक्त घोल को कांच की दो शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क L-1 व L-2 दिया गया। आरोपी के लोअर को पंखे की हवा में सुखाकर कपडे की चिट चस्पा की गई, चिट पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की सफेद थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क L दिया गया। तथा थैली पर सभी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क L-1, L-2 व L को कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री लोकेश जोशी से पूछताछ की तो बताया कि मैं वर्ष 2022 में राजकीय सेवा में पटवारी के पद पर भर्ती हुआ था। चिलेश्वर पटवारी के पद पर मैं जनवरी 2023 से पदस्थापित हूं। इसके अलावा मेरे पास रामपुरिया व आमदला का अतिरिक्त चार्ज है। आरोपी से परिवादी के फौतगी म्यूटेशन से संबंधित पत्रावली, दस्तावेज के बारे में पूछने पर आरोपी नें बताया कि उक्त दस्तावेज मेरे ससुराल चामुण्डा माता मंदिर के पास पडे है तथा आज जो मुझे भगवान सालवी नें एनओसी की कॉपी दी थी वो मेरी मोटर साईकिल के बैग में है। तत्पश्चात श्री नेमीचंद सउनि, श्री पवन कानिस्टेबल एसीबी भीलवाडा को थाना करेडा से महिला कानिस्टेबल सुनिता बेल्ट नम्बर 524 को आरोपी श्री लोकेश के ससुराल आवास पर दस्तावेज मंगवाने के लिये भिजवाया गया। आरोपी श्री लोकेश जोशी से दस्तावेज के संबंध में पूछताछ की तो बताया कि मैनें भगवान सालवी से दस्तावेज चैक करने के लिये थे। इन्ही को ई-मित्र से ऑनलाईन करवाना था। दिनांक 23.06.2026 को मुझे जो दस्तावेज दिये गये थे उसमें श्री मियाराम पुत्र श्री भारमल बलाई के कृषि भूमि पर किसी प्रकार का ऋण बकाया होने के संबंध में एनओसी संलग्न नही थी। यह एनओसी की कॉपी आज मुझे दी थी, मूल एनओसी मेरे मोटर साईकिल के बैग में पडी है। तत्पश्चात श्री रामपाल सउनि से थाना परिसर में खडी आरोपी की मोटर साईकिल आर.जे 22-वाई.एस- 6473 हीरो एचएफ डीलक्स से परिवादी के पिता के नाम से संबंधित एनओसी मंगवाई गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री लोकेश जोशी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.06.2026 को परिवादी से ली गई 1,000 रूपये रिश्वत राशि के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि मैनें कोई डिमांड नही की है। मैने तो विरासत के नामांतरण के ऐवज में जो डिमांड राशि बनती है जो नामांतरण ऑनलाईन चढने के बाद इसको जमा करानी थी, जिसकी बकायदा रसीद मिलती है। मैनें दिनांक 23.06.2026 को भगवान सालवी से 1000 रूपये की राशि ली या नही, मुझे याद नही है। तत्पश्चात आरोपी श्री लोकेश जोशी से आज परिवादी श्री भगवान सालवी से फोन पर किस सन्दर्भ में बातचीत हुई तो बताया कि मुझे भगवान सालवी नें एनओसी देने के संबंध में फोन किया था। जिसकी मेरे से दो बार बात हुई थी। मैनें सुबह 9 बजे करेडा बुलाया था, जो ये 11 बजे बाद आये। मैने इनको पहले बस स्टेण्ड बुलाया था उसके बाद में चामुण्डा माता मंदिर बुलाया। आज आप द्वारा परिवादी श्री भगवान सालवी से 1000 रूपये की रिश्वत राशि लेकर अपने पहने हुये लोअर की जेब में रखी थी, ये राशि किस ऐवज में ली। इस संबंध में आरोपी श्री लोकेश जोशी ने बताया कि मुझे मालूम नही है, हो सकता है कि इनके अंकल धर्मा जी है, जिन्होने 1000 रूपये आज भिजवाये है, जो मेरे इलाके में जिंसो की गिरदावरी करता है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी से आज दिनांक 27.06.2026 को दी गई रिश्वति राशि के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मुझे धर्माराम जी नें कोई पैसे नही दिये है, मेरे से तो इंतकाल खुलवाने की ऐवज में पैसे लिये है। तत्पश्चात मौके पर गवाहान व परिवादी व आरोपी के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग कार्यालय के लेपटॉप में चलाकर सुनायी गई जिसमें परिवादी कहता है कि थाके पेली का आया क, जिस पर आप द्वारा कहा जाता है कि हां वे तो वेग्या। इस संबंध में परिवादी से पूछा कि पहले पटवारी जी के पास क्या आने के संबंध में बातचीत हुई है तो परिवादी नें बताया कि मेरे से पहले पटवारी जी नें 5000 रूपये लिये है। उसकी तारिख मुझे याद नही है। तत्पश्चात आरोपी श्री लोकेश जोशी से हां वे तो वेग्या, ये वार्ता किस संबंध में की गई है। इस पर आरोपी नें बताया कि ये डॉक्यूमेंट के संबंध में बातचीत थी, मुझे भगवान सालवी ने कोई 5000 रूपये नही दिये। दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेनदेन वार्ता के संबंध में आरोपी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया जाता है। तत्पश्चात परिवादी की पत्रावली एवं संबंधित दस्तावेज के संबंध श्री नेमीचंद सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ते के उपस्थित थाना आये तथा जाहिर किया कि आरोपी के ससुराल जाकर आरोपी के बताये अनुसार दस्तावेज लाकर पेश किये। जिनकी फोटोप्रति करवाकर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात परिवादी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिये करेडा तहसीलदार श्री हुकमचंद जांगिड से जरिये मोबाईल वार्ता की, जिन्होने परिवादी के लम्बित कार्य एवं दस्तावेजो के संबंध में गिरदावर श्री शंकरसिंह तहसील कार्यालय करेडा से उपस्थित आये। जिनसे परिवादी श्री भगवान सालवी के पिता श्री मियाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में पूछताछ की तो बताया कि ग्राम चिलेश्वर के खाता संख्या 921 किता 03 रकबा 0.4869 हैक्टेयर (1 बीघा 18 बीस्वा), खाता संख्या 45 किता 01 रकबा 0.0379 हैक्टेयर में हिस्सा 1/12 (5

बिस्वांसी), खाता संख्या 749 रकबा 0.0253 में हिस्सा 1/8 (5 बिस्वांसी), खाता संख्या 750 रकबा 0.0506 में हिस्सा 1/12 (6.5 बिस्वांसी) कुल रकबा 1 बीघा 19 बीस्वा श्री मियाराम के खाते में दर्ज है। फौतगी म्यूटेशन की प्रक्रिया के संबंध में पूछने पर बताता हूं कि मृतक खातेदार के वारिसान द्वारा अपना खाता पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना पडता है, तत्पश्चात उक्त आवेदन संबंधित हल्का पटवारी के पास पहुंचता है। जिस पर पटवारी द्वारा आवेदक के परिजनो की सजरा रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट तैयार करता है और रिकॉर्ड सही पाये जाने पर पटवारी द्वारा फौतगी म्यूटेशन के आवेदन को ऑनलाईन ही संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को प्रेषित कर दिया जाता है। सरपंच द्वारा वेरिफाई करने के पश्चात फौतगी म्यूटेशन मृतक के वारिसन के नाम दर्ज हो जाता है। आप द्वारा फौतगी म्यूटेशन में आवेदक से किसी प्रकार का ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात किसी प्रकार का शुल्क वसूल नही किया जाता है। तत्पश्चात श्री लोकेश जोशी के पास मिले परिवादी के दस्तावेजो की एक एक प्रति करवाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मूल दस्तावेज व मूल एनओसी गिरदावर श्री शंकर सिंह जी को सम्भलाई गई तथा परिवादी के लम्बित कार्य को नियमानुसार पूर्ण करवाने के संबंध में निर्देशित किया गया। आरोपी के आवास की खाना तलाशी के संबंध में श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, अजमेर को निवेदन किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री भगवान सालवी पुत्र श्री मियाराम जाति बलाई निवासी चिलेश्वर, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में विभिन्न खसरों में कृषि भूमि अवस्थित है। परिवादी के पिता श्री मियाराम की मृत्यु के पश्चात परिवादी के परिजनो के नाम फौतगी म्यूटेशन खुलवाने के लिये परिवादी श्री भगवान सालवी द्वारा पटवारी आरोपी श्री लोकेश जोशी पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी 292 शिवनगर मण्डिया रोड पाली, पुलिस थाना सिटी कोतवाली पाली हाल पटवारी पटवार हल्का चिलेश्वर, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा से सम्पर्क किया तो नामांतरण खोलने की ऐवज में 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने पर 8,000/- रूपये लेने पर राजी हुआ। परिवादी ने बताया कि मेरे से 5000/- रूपये दिनांक 20.06.2026 को ही ले लिये, अब और 3000/- रूपये की मांग कर रहा है। जिस पर दिनांक 23.06.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो परिवादी से 1,000/- रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की तथा 1,000/- रूपये रिश्वत राशि बाद में लेने के लिये सहमत हुआ। मांग के अनुसरण में आज दिनांक 27.06.2026 को 1,000/- रूपये परिवादी से ग्रहण कर अपने पहने हुये लोअर की दाहिनी जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। तथा आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में रिश्वत राशि लेनदेन के तथ्यों की भी मांग सत्यापन वार्ता में पुष्टि हुई। दौराने कार्यवाही आरोपी श्री लोकेश जोशी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्डिंग सुनाई गई तथा रिकॉर्ड वार्ता में आपकी आवाज है या नही के बारे में आरोपी से पूछा तो बताया कि मुझे स्पष्ट आवाज नही आ रही है। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री भगवान सालवी से 1000 रूपये की रिश्वत राशि दौराने मांग सत्यापन वार्ता ग्रहण की तथा 1000 रूपये की रिश्वत राशि वक्त लेनदेन स्वैच्छिक ग्रहण करना पाया गया। तथा आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में रिश्वत राशि लेनदेन के तथ्यों की भी मांग सत्यापन वार्ता में पुष्टि हुई। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। - तत्पश्चात आरोपी को विधिक प्रावधानानुसार गिरफ्तारी के आधारो से सूचित किया गया तथा एक प्रति आरोपी को देकर रिसिव्ड प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 07.30 पी.एम पर आरोपी की फर्द गिरफ्तारी हस्ब कायदा मुर्तिब कर आरोपी एवं सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके ससुर श्री दिनेश शर्मा निवासी करेडा को दी गई। तत्पश्चात 08.00 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय परिवादी व गवाहान मय गिरफ्तार शुदा मुलजिम श्री लोकेश जोशी मय शिल्ड व जप्तशुदा आर्टिकल करेडा से एसीबी कार्यालय भीलवाडा के लिये रवाना हुये। समय 09.05 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी व गवाहान मय आरोपी के एसीबी कार्यालय भीलवाडा पहुंचे। जहां पर आरोपी श्री लोकेश जोशी को कार्यालय के कक्ष में श्री नेमीचंद सहायक उप निरीक्षक एवं श्री रतनलाल कानि 428 की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को शिल्डशुदा आर्टिकल मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, L-1, L-2, L व मार्क N व जामा तलाशी आर्टिकल सुपुर्द कर जमा मालखाना करने के निर्देश दिये। समय 09.30 पी.एम पर प्रकरण में परिवादी श्री भगवान सालवी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री आदेश गारू व श्री प्रजीत पंडित उपस्थित कार्यालय है। जिनके समक्ष मन उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी से निकलवाकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगाकर कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री भगवान साल्वी ने अपनी आवाज तथा आरोपी लोकेश जोशी पटवारी की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि नं. 15 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि नं. 15 से कनेक्ट

करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क-M अंकित कर सभी सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गयाए आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 38 अंकित की गई। तथा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 28.06.2026 समय 01.00 ए.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री आदेश गारू व श्री प्रजीत पंडित व परिवादी श्री भगवान सालवी को रूख्सत किया गया। तथा प्रातः 07.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में गवाहान व स्टाफ को निर्देश दिये गये। समय 08.00 ए.एम पर परिवादी श्री भगवान सालवी व स्वतंत्र गवाहान श्री आदेश गारू व श्री प्रजीत पंडित उपस्थित कार्यालय आये। जिनके समक्ष रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व व रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता का डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी से निकलवाकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगाकर कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री भगवान साल्वी ने अपनी आवाज तथा आरोपी लोकेश जोशी पटवारी की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री खालिद हुसैन हैड कानि नं. 88 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि नं. 15 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित कर सभी सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-3 दिया गयाए आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 38 अंकित की गई। तथा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 10.12 ए.एम पर श्री देवेन्द्र कुमार कानि 429 से सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही दिनांक 27.06.2026 की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग का मूल मैमोरी कार्ड से पेनड्राईव तैयार करने के निर्देश दिये, जिस पर श्री देवेन्द्र कुमार से मूल मेमोरी कार्ड ऑडियो विडियो रिकार्डिंग सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी से कुल 03 पैन ड्राईव 64-64 जी.बी. के तैयार करवाये गये। जिसमें से न्यायालय हेतु 01 पैन ड्राईव आरोपी हेतु 01 पैन ड्राईव तथा अनुसंधान हेतु एक पैन ड्राईव कार्यालय कम्प्यूटर से कॉपी कर तैयार करवाये गये। न्यायालय हेतु तैयार पेनड्राईव को उसी के कवर में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-5 दिया गया। आरोपी हेतु तैयार पेनड्राईव को उसी के कवर में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-6 दिया गया तथा एक पेनड्राईव उसी के कवर में रखकर पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसी के कवर में रखकर, सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क M-2 दिया गया। उक्त सभी शिल्ड आर्टीकल पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 38 अंकित की गयी। समय 11.15 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त ब्रास शील ACB BHL–1 38 को बाद कार्यवाही कार्यालय परिसर में पत्थर से तुडवाकर नष्ट की गई। फर्द नाशानी शील पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।
उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री भगवान सालवी पुत्र श्री मियाराम जाति बलाई निवासी चिलेश्वर, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा नें उपस्थित कार्यालय होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश कि की मेरे पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में विभिन्न खसरों में कृषि भूमि अवस्थित है। परिवादी के पिता श्री मियाराम की मृत्यु के पश्चात परिवादी के परिजनो के नाम फौतगी म्यूटेशन खुलवाने के लिये परिवादी श्री भगवान सालवी द्वारा पटवारी आरोपी श्री लोकेश जोशी पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी 292 शिवनगर मण्डिया रोड पाली, पुलिस थाना सिटी कोतवाली पाली हाल पटवारी पटवार हल्का चिलेश्वर, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा से सम्पर्क किया तो नामांतरण खोलने की ऐवज में 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर 8,000/- रूपये लेने पर राजी हुआ। परिवादी ने बताया कि मेरे से 5000/- रूपये दिनांक 20.06.2026 को ही ले लिये, अब और 3000/- रूपये की मांग कर रहा है। जिस पर दिनांक 23.06.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो परिवादी से 1,000/-

रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की तथा 1,000/- रूपये रिश्वत राशि बाद में लेने के लिये सहमत हुआ। मांग के अनुसरण में दिनांक 27.06.2026 को 1,000/- रूपये परिवादी से ग्रहण कर अपने पहने हुये लोअर की दाहिनी जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। तथा आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में रिश्वत राशि लेनदेन के तथ्यों की भी मांग सत्यापन वार्ता में पुष्टि हुई। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री भगवान सालवी से 1000 रूपये की रिश्वत राशि दौराने मांग सत्यापन वार्ता ग्रहण की तथा 1000 रूपये की रिश्वत राशि वक्त लेनदेन स्वैच्छिक ग्रहण करना पाया गया। तथा आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में रिश्वत राशि लेनदेन के तथ्यों की भी मांग सत्यापन वार्ता में पुष्टि हुई। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। अतः आरोपी श्री लोकेश जोशी पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी 292 शिवनगर मण्डिया रोड पाली, पुलिस थाना सिटी कोतवाली पाली हाल पटवारी पटवार हल्का चिलेश्वर, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर को प्रेषित है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम।..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लोकेश जोशी पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी 292 शिवनगर मण्डिया रोड पाली, पुलिस थाना सिटी कोतवाली पाली हाल पटवारी पटवार हल्का चिलेश्वर, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 520 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1059-62 दिनांक 30.06.206 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2- जिला कलक्टर, भीलवाडा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/06/2026 20:54:28

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)